न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी :– अनील कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– दावा संख्या 23/2020

निर्णय दिनांक :– 26-11-2020

1. रमेशकुमार पुत्र वीरबलसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बाजीसर तह. सुजानगढ

...वादी

बनाम

1. तीजू पत्नी दाना
2. किशनी पुत्री दाना
3. मोहनी पुत्री दाना
4. संतोष पुत्री दाना
5. मनोहरी पुत्री दाना
6. गोपालराम पुत्र दाना
7. पवनकुमार पुत्र रामलाल
8. बृजलाल पुत्र रामलाल
9. भंवरीदेवी पत्नी रामलाल
10. सरोज पुत्री रामलाल

जाति जाट निवासीगण ग्राम टिंडियासर तहसील रतनगढ जिला चूरू

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

...प्रतिवादीगण

12. किशोरकुमार पुत्र माधाराम जाट निवासी ग्राम मालासी तह. सुजानगढ जिला चूरू

...नौण प्रतिवादी

उपस्थित:–

1. श्री करणीसिंह अभिभाषक वादी
2. श्री ललित शर्मा अभि. प्रतिवादी सं. 1 से 10
3. पैरोकार राज

दावा विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट कृषि भूमि खाता विभाजन हेतु दिनांक 8.6.2020 को प्रस्तुत किया गया। दावा में वर्णित खेत ख.नं. 228 तादादी 6.7026 हैक्टेयर व ख.नं. 371/248 तादादी 11.1794

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2020.12.14 13:04:37 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर रोही ग्राम टीडियासर तहसील रतनगढ के सम्बन्ध में कृषि भूमि के विभाजन हेतु वादी का दावा प्राथमिक रूप से दिनांक 26.10.2020 को डिक्री किया गया तथा तहसीलदार रतनगढ से मौके की स्थिति के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.11.2020 को न्यायालय में प्रस्तुत हुआ।

2. विभाजन प्रस्ताव पर बहस विद्वान अभिभाषकगण एवं पैरोकार राज सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभातीं अवलोकन किया गया। पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति नही होना जाहिर किया गया है। पैरोकार राज ने भी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता एवं लगान कायम करने में कोई आपति नही की है। भूमि का विभाजन प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड एवं कब्जा काश्त के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। अतः दावा वादी अतिंम रूप से डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादी अतिंम रूप से डीक्री किया जाता है। वादगत भूमि **खेत ख.नं. 228 तादादी 6.7026 हैक्टेयर व ख.नं. 371/248 तादादी 4.4768 हैक्टेयर कुल तादादी 11.1794 हैक्टेयर रोही ग्राम टीडियासर तहसील रतनगढ** जिला चूरू का खाता एवं लगान का विभाजन निम्न प्रकार से करने के आदेश दिये जाते है।

क.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	क्षैत्रफल है. में	किस्म
1.	रमेशकुमार पुत्र बीरबलसिंह जाति जाट नि. बाजीसर तह. झूझूनूं खातेदार	371/248 मी. पूर्वी	0.1597	बा.अ.
2.	किशोरकुमार पुत्र माधाराम जाति जाट नि. मालासी तह. सुजानगढ खातेदार	371/248 मी. पश्चिमी मध्य	0.1597	बा.अ.
3.	किसनी पुत्री दाना हि. 5/34 जाति जाट नि. टिडियासर खातेदार राहिन पीएनबी शाखा रतनगढ, गोपालराम पुत्र दाना 2/17 हि. जाति जाट निवासी टिडीयासर खातेदार राहिन पीएनबी शाखा रतनगढ, तीजू पत्नि दान	371/248 मीन पश्चिमी, 228	4.1574 6.7026	बा.अ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2020.12.14 13:04:37 IST
Reason: SelfAttested

	5/34 हि. जाति जाट नि. टिडियासर खातेदार राहिन पीएनबी शाखा रतनगढ, पवनकुमार पुत्र रामलाल 5/136 हि. जाति जाट नि. टिडियासर खातेदार, बृजलाल पुत्र रामलाल 5/136 हि. जाति जाट नि. टिडियासर खातेदार, भंवरीदेवी पत्नि रामलाल 5/136 हि. जाति जाट नि. टिडियासर खातेदार, मनोहरी पुत्री दाना 5/34 हि. जाति जाट नि. टिडियासर खातेदार राहिन पीएनबी शाखा रतनगढ, मोहनी पुत्री दाना 5/34 हि. जाति जाट खातेदार राहिन पीएनबी शाखा रतनगढ, सन्तोष पुत्री दाना 5/34 हि. जाति जाट नि. टिडियासर खातेदार राहिन पीएनबी शाखा रतनगढ, सरोज पुत्री रामलाल 5/136 हि. जाति जाट नि. टिडियासर खातेदार			

अंतिम पर्चा डिक्री नियमानुसार जारी हो। तहसीलदार रतनगढ डिक्री का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 26/11/2020 को बसरे ईजलास सुनाया गया।

26/11/2020

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2020.12.14 13:04:37 IST
Reason: SelfAttested